

ऋण और बंधक अनुबंध

1. यह मुख्य अनुबंध ("अनुबंध") पुनर्भुगतान अनुसूची में वर्णित ऋणगृहीता और सह- ऋणगृहीता नामक प्रत्येक व्यक्ति, जिनका मामले के अनुसार निवास या कार्य-स्थल वहाँ दर्शाए गए स्थान के अनुसार है ("ऋणगृहीता") और इसके साथ ही, दी लागे लादेन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनीज अधिनियम 2013 के नियमों के तहत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 20/F, टावर A, पेनिनसुलाबिज़नेसपार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 में है और एक शाखा कार्यालय दिल्ली ("ऋणदाता") में है, के बीच निष्पादित की गई है. ऋणगृहीता "आप" या "आपका" और ऋणदाता "हम" या "हमारा" से संबोधित किये जाएंगे. ऋणदाता और ऋणगृहीता आगे अकेले होने पर "पक्ष" और सामूहिक रूप से "पक्षों" से संबोधित किये जाएंगे. ऋणदाता उनके ऋण उत्पाद ग्राहकोंको अपने व्यावसायिक नाम ("एस्कोट क्रेडिट") जो उनको एस्कोट लिमिटेड कंपनीने प्रदान किया है, जिसका पंजीकृत कार्यस्थल SC0232 पहली मंज़िल, सेक्टर 20, पांचकला 134109 पर स्थित है, से उपलब्ध करता है. आपने हमें अनुबंध में शामिल नियमों और शर्तों पर आपको ऋण देने हेतु अनुरोध किया है. सभी पक्ष सहमत हैं कि यह अनुबंध सामान्य नियम और शर्तें तय करता है, और पक्षों के बीच बाध्यताकारी अनुबंध तब स्थापित होगा जब ऋणदाता द्वारा पुनर्भुगतान सारिणी पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे फलस्वरूप ऋणदाता द्वारा ऋण प्रदान किये जाने का ऋणगृहीता का अनुरोध (जो कि परिचायक संविदा को शामिल करेगा किन्तु केवल उसी तक सीमित नहीं होगा) स्वीकृत किया जाएगा. परिचायक संविदा में निहित ऋणगृहीता द्वारा हस्ताक्षरित व्यावसायिक शर्तें, ऋणगृहीता द्वारा किये गए अनुरोध(धों), प्रस्ताव(वों), चाहे लिखित हों या मौखिक, के आधार पर बदली जा सकती हैं. यदि ऋणगृहीता व्यावसायिक शर्तों के संशोधन हेतु अनुवर्ती अनुरोध करता है, तो ऋणदाता ऐसी संशोधित व्यावसायिक शर्तों की पुष्टि ऋणगृहीता से करेगा, जो कि पुनर्भुगतान सारिणी के रूप में अंतिम प्रकार दिए जाने के पहले मौखिक पुष्टिकरण का रूप ले सकती है. पुनर्भुगतान सारिणी और परिचायक संविदा या आवेदन पत्र सहित, किन्तु केवल इस तक सीमित नहीं, किसी अन्य दस्तावेज के बीच असंगति होने की स्थिति में, पुनर्भुगतान सारिणी अंतिम होगी और पक्षों पर बंधनकारी होगी. बावजूद इसके कि इस अनुबंध में कोई भी असंगत बात निहित नहीं है, इस अनुबंध के तहत ऋणगृहीता के दायित्वों के अनुसार ऋणगृहीता और सह- ऋणगृहीता सम्मिलित और अलग-अलग रूप से ऋणदाता के प्रति उत्तरदायी होंगे.
2. हमआपकोवहराशिप्रदानकरनेहेतुऔरआपहमसेऋणलेनेहेतुसहमतहैं, जो पुनर्भुगतान सारिणी ("सुविधा") में ("आरम्भ दिनांक") से छः(6) कैलेंडर सप्ताहों की उपलब्धता अवधि के दौरान निर्दिष्ट सीमाओं तक हैं. आरंभ दिनांक अर्थात सुविधा के तहत ऋण के आरंभ का दिनांक जैसा कि ऋणदाता के निर्णय अनुसार पुनर्भुगतान सारिणी में निर्दिष्ट है, जो कि स्वीकृति प्रमाण-पत्र(नीचे बताए अनुसार) के पूर्व नहीं है. "उपकरण" को पुनर्भुगतान सारिणी में वर्णित किया जाएगा और जिसमें, सीमारहित रूप से, सभी घटक हिस्से और सहायक सामग्री, इसके अतिरिक्त होने वाली भावी वृद्धि और इसके बदले जाने वाले हिस्से, और साथ-ही-साथ अनुबंध के अनुसार इसके सभी सॉफ्टवेयर और सभी सेवा और देखभाल, होंगे. उपकरण के अर्थ में सभी उपकरण, मशीनरी, औजार, घटक हिस्से और सहायक सामग्री (जिनमें इसके अतिरिक्त होने वाली भावी वृद्धि और इसके बदले जाने वाले हिस्से, और साथ-ही-साथ अनुबंध के अनुसार इसके सभी सॉफ्टवेयर और सभी सेवा और देखभाल) यह सभी सम्मिलित हैं जो कि भविष्य में ऋणगृहीता द्वारा /ऋणदाता से प्रदायित ऋण(ऋणों) द्वारा, निर्माता, विक्रेता, वितरक, पुनर्विक्रेता या प्रदायक ("विक्रेता") से सुपुर्दगी पाने के बाद, खरीदे जाएंगे. "स्वीकृति प्रमाण-पत्र" अर्थात

- ऋणगृहीता द्वारा प्रमाण-पत्र/स्वीकृति जो कि ऋणगृहीता द्वारा हस्ताक्षरित परिचायक संविदा (नीचे बताए अनुसार) में सम्मिलित है, जिसमें कि ऋणगृहीता कहता है कि उपकरण प्राप्त कर लिया गया है और यह कि वह उचित स्थिति में है और आदेशित विनिर्देशों के अनुसार है, या कि विक्रेता से उपकरण की सुपुर्दगी पाने के बाद उपकरण के निरीक्षण के अधिकार का त्याग करता है और उपकरण को शर्तरहित स्वीकार करने पर सहमत है, जिस प्रमाण-पत्र की सामग्री और रूप ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा और ऋणदाता के स्वत्वाधिकार पर किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है. "परिचायक संविदा" अर्थात वह दस्तावेज जिसमें ऋणगृहीता के ऋण आवेदन की व्यावसायिक शर्तें निहित हैं. भविष्य में होने वाले के प्रति पक्षपात के बिना, आपको इस अनुबंध की शर्तें मानने हेतु निम्नलिखित में किसी एक या अधिक घटनाओं के होने की स्थिति में अन्तर्निहित व्यवहार द्वारा राजी होना चाहिए: (a) ऋणगृहीता द्वारा उपनियम 1 में तय की गई व्यावसायिक शर्तों की मौखिक पुष्टि, इसके पहले कि यह व्यावसायिक शर्तें पुनर्भुगतान सारिणी के रूप में अंतिम तय हो जाएँ; (b) पुनर्भुगतान सारिणी या इसके किसी हिस्से में तय किये अनुसार ऋणगृहीता द्वारा या उसके हस्ते भुगतान और/या वसूली; (c) अनुबंध के अनुसार स्टाम्प शुल्क, कानूनी शुल्क और अन्य कोई लागत, प्रभार और/या व्यय की वसूली; (d) ऋणदाता के सुरक्षा हित का अभिलेखन जो उपकरण इनवॉइस(सों) पर प्रथम, विशिष्ट और नियत प्रभार के अनुमोदन के तरीके द्वारा सम्मिलित है; (e) उपनियम 24 की शर्तों के अनुसार बंधक संपत्तियों से सम्बंधित पंजीकरण प्रमाण-पत्र(पत्रों) पर ऋणदाता के सुरक्षा हित का अनुमोदन; (f) पुनर्भुगतान सारिणी के अनुसार ऋणदाता को एक या अधिक पुनर्भुगतान किस्तों का भुगतान. बशर्ते कि परिचायक निविदा में ऋणगृहीता द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, ऋणदाता उस विक्रेता से, जिससे ऋणगृहीता ने उपकरण खरीदा है या खरीदने की इच्छा रखता है, स्टाम्प शुल्क, कानूनी शुल्क और/या अन्य शुल्क, लागत, प्रभारों और/या व्यय के एक हिस्से या पूर्ण की वसूली कर सकता है.
3. ऋणगृहीता सुविधा से प्राप्त लाभ को उपकरण की खरीद के लिए उपयोग करेगा और परिचायक संविदा या पुनर्भुगतान सारिणी में उल्लेख अनुसार उन्हें उपकरण के और/या ऋणगृहीता के जीवन, स्वास्थ्य और/या सेहत के बीमा के प्रीमियम पर खर्च कर सकेगा. ऋणदाता सुविधा के अंत उपयोग की जाँच नहीं करेगा. ऋणगृहीता उद्देश्य हेतु किए गए उपयोग का प्रमाण स्वयं अपनी लागत पर ऋणदाता को उसकी संतुष्टि के लिए प्रदान करेगा.
 4. सुविधा के तहत ऋणदाता कोई अग्रिम राशि नहीं देगा जब तक कि ऋणदाता को उसके द्वारा मांगा गया प्रत्येक दस्तावेज और ऋणगृहीता द्वारा पूर्ववर्ती परिस्थिति के तौर पर किया गया कार्य जो ऋणदाता द्वारा चाहे गए रूप में हो ("पूर्ववर्ती परिस्थिति"). आप इस अनुबंध के निष्पादन के दिनांक को या उसके पहले ऋणदाता को पुनर्भुगतान सारिणी में तय किया गया "प्रक्रिया शुल्क" चुकाएंगे, जो कि किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा. बशर्ते कि ऋणगृहीता द्वारा परिचायक संविदा में ऐसा प्राधिकृत किया गया हो, ऋणदाता प्रक्रिया शुल्क राशि(यों) की वसूली उस विक्रेता से कर सकता है जिससे ऋणगृहीता ने उपकरण खरीदा हो या खरीदने का विचार रखता हो.
 5. पूर्ववर्ती परिस्थिति के पूर्ण होने के अनुसार सुविधा या उसका एक हिस्सा अग्रवर्ती किया जा सकता है या लिया जा सकता है. ऋणदाता सुविधा के तहत (बीमा प्रीमियम की राशि(यां), यदि हों तो, उनके अलावा) सीधे विक्रेता को भुगतान कर सकेगा ना कि ऋणगृहीता को. ऋणदाता अपने स्वत्वाधिकार और अतिरिक्त स्थितियों, यदि हों, की पूर्ति ऋणगृहीता द्वारा किये जाने के अनुसार

- सुविधा राशि या उसका एक हिस्सा, ऋणगृहीता को भुगतान करने का चयन कर सकता है. "ऋण" अर्थात ऊपर कहे अनुसार सुविधा का कोई भी अग्रवर्ती या अदा किया हुआ भाग.
6. ऋणगृहीता, (i) सुविधा (यदि कोई हो) का वह भाग जो इस अनुबंध के अनुसार निरस्त किया जा चुका है या घटा दिया गया है और (ii) इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऐसे दिनांक को बकाया सभी (यदि कोई हों) ऋणों के मूलधन की कुल राशि ("उपलब्ध प्रतिबद्धता"), या उसका कोई हिस्सा जो सुविधा का 25%(पच्चीस प्रतिशत) हो या उस राशि का पूर्ण गुणक हो, उपलब्धता अवधि के समाप्त होने के पहले किसी भी समय 14 व्यावसायिक दिनों की पूर्व लिखित सूचना के साथ, सुविधा की राशि निरस्त कर सकता है. इस अनुबंध में, "व्यावसायिक दिन" अर्थात (शनिवार और रविवार के अलावा) वह दिन जब मुंबई, भारत में बैंकें कार्य के लिए खुली हों. ऐसा निरस्तीकरण प्रभावी नहीं होगा यदि ऋणगृहीता इसके प्रभावी होने के दिनांक या उसके पहले ऋणदाता को, उस निरस्तीकरण की राशि के एक प्रतिशत (1%) निरस्तीकरण शुल्क का भुगतान कर दे. उपलब्ध प्रतिबद्धता का कोई भी हिस्सा उपलब्धता अवधि के समाप्ति के समय उपयोगरहित या अनाहरित रह जाने की स्थिति में उपलब्धता अवधि की समाप्ति पर स्वयमेव निरस्त हो जाएगा (जब तक कि ऋणदाता के स्वत्वाधिकार के अनुसार उपलब्धता अवधि को आगे ना बढ़ा दिया गया हो), और इसपर उपयोगरहित उपलब्ध प्रतिबद्धता के एक प्रतिशत (1%) का निरस्तीकरण शुल्क अपने आप बकाया होगा और ऋणगृहीता द्वारा देय होगा.
 7. इस अनुबंध में अन्यत्र प्रदान किये अनुसार, पुनर्भुगतान सारिणी के अनुसार ऋण और इसके अतिरिक्त लागू किया गया ब्याज, ऋणगृहीता द्वारा पूर्ण भुगतान किया जाएगा. ऋणगृहीता सुविधा के पुनर्भुगतान किये जा चुके किसी भी हिस्से को फिर से ऋण की तरह नहीं ले सकेगा.
 8. पिछले आरंभिक दिनांक से एक (1) वर्ष की समाप्ति और कम-से-कम 14 व्यावसायिक दिनों के पूर्व लिखित नोटिस के बाद, ऋणगृहीता किसी भी पुनर्भुगतान दिनांक पर, सुविधा पर बकाया कुल राशि का पूर्ण (आंशिक या हिस्सा नहीं) भुगतान साथ-ही-साथ पूर्वभुगतान की तरह कर सकता है, जिसके साथ सुविधा के कुल 4% (चार प्रतिशत) का पूर्वभुगतान प्रीमियम, कोई धन राशि, या अन्य लागत, हानि, ऋणगृहीता को पूर्वभुगतान के परिणाम से या उस कारण उत्पन्न होने से लगने वाला व्यय या देयता और इस अनुबंध के तहत बकाया कोई और राशि, इन सभी के साथ, देय होगा. ऋणदाता, ऋणगृहीता के अनुरोध पर उसे पूर्वभुगतान पत्र जारी करेगा जिसके लिए प्रति पूर्वभुगतान पत्र पर 500/- रु, (पाँच सौ रुपये केवल) का शुल्क देय होगा. ऋणदाता अपने स्वत्वाधिकार के तहत, ऋणगृहीता द्वारा पूर्ण सुविधा का पूर्वभुगतान किये जाने पर, किसी एक घटना में, कहे गए शुल्क को (लागू करों का शेष, यदि हों, इसके बाद) लौटाने/वापस देने का चयन कर सकता है. ऊपर कहे अनुसार सुविधा के पूर्वभुगतान पर, सुविधा की पूर्ण बकाया राशि से अधिक, हमारे द्वारा स्वीकृत 500/- रु, (पाँच सौ रुपये केवल) तक की राशि(यां), आपको नहीं भी लौटाई जा सकती हैं और हम उसे अपनी आय की तरह ले सकते हैं.
 9. ब्याजकी देयता पुनर्भुगतान सारिणी में तय दर ("ब्याज दर") पर होगी जो आरम्भिक दिनांक से अंतिम पुनर्भुगतान दिनांक तक, उस दिनांक को हो जब, ऋण(ऋणों) के पुनर्भुगतान की योजना के अनुसार ("पुनर्भुगतान सारिणी") पुनर्भुगतान किस्त बकाया हो, जो कि ऋणदाता द्वारा लिखित में (पत्र, फैंक्स, ई-मेल या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप) ऋणगृहीता को दी जाए जिसमें सम्बद्ध पुनर्भुगतान दिनाकों पर "पुनर्भुगतान किस्त" की राशियाँ निहित हों. सम्बद्ध पुनर्भुगतान दिनाकों पर भुगतान की जाने वाली पुनर्भुगतान किस्तों की अधिसूचना आपको ऋणदाता द्वारा पुनर्भुगतान

- सारिणी हस्ताक्षरित किये जाने के दिनांक से 14 व्यावसायिक दिनों के भीतर मिल जाएगी. ऋणदाता द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान किस्तों की राशियाँ और सम्बद्ध पुनर्भुगतान दिनांक निर्णायक होंगे और आपके ऊपर बंधनकारी होंगे. बशर्ते कि ऋणगृहीता द्वारा परिचायक संविदा में ऐसा प्राधिकृत किया गया हो, ऋणदाता सम्बद्ध अग्रिम राशि(यों) और/या पुनर्भुगतान किस्त(तों) की वसूली उस विक्रेता से कर सकता है जिससे ऋणगृहीता ने उपकरण खरीदा हो या खरीदने का विचार रखता हो. "पूर्व-आरंभ ब्याज" अर्थात ऋणदाता द्वारा पुनर्भुगतान सारिणी हस्ताक्षरित किये जाने के दिनांक से, प्रयोजनीय पुनर्भुगतान सारिणी में तय किये गए आरम्भ के दिनांक तक की अवधि के लिए ऋण(ऋणों) पर लागू ब्याज दरों से लगने वाला ब्याज. पूर्व-आरंभ ब्याजका भुगतान ऋण की अवधि के दौरान ऋणगृहीता द्वारा किया जाएगा.
10. हालाँकि इस अनुबंध में निहित किसी भी चीज के विपरीत, अपवाद परिस्थितियों में, जो केवल हमारे मत द्वारा निर्णीत की जाएंगी, हम 15 दिनों का नोटिस देकर, ब्याज दर को बढ़ाने और पुनर्भुगतान सारिणी को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं.
 11. इस अनुबंध के तहत आपके द्वारा हमें भुगतान की जाने वाली सभी राशियाँ किसी भी बंधन, स्थिति, किसी भी कर हेतु या उसके कारण कटौती (या रोकना), या मुआवजे के रूप में, प्रतिदावे या अन्य से मुक्त और निर्बाधित करके दी जाएंगी. आप मानते हैं और सहमत हैं कि करों के उद्देश्यों हेतु इस अनुबंध के उचित उपचार के निर्धारण की एकमात्र जिम्मेदारी आपकी है.
 12. यदि किसी भी समय इस अनुबंध के तहत हमारे अन्य दायित्वों में सभी या किसी भी को पूर्ण करने में यह हमारे लिए गैरकानूनी या लागू कानूनों के विरुद्ध हो या हो सकता हो, तो यह अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा और आप हमारे बताए अनुसार सुविधा का पूर्वभुगतान करेंगे.
 13. ऋणगृहीता सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा और ऋणदाता द्वारा चाहे तरीके से करेगा, ऋणदाता के दिल्ली के बैंक खाते में करेगा जैसा कि हमारे द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाएगा जो कि ऋणदाता के स्वत्वाधिकार के अनुसार ऋणगृहीता को एक(1) कैलेंडर दिन के नोटिस पर सूचित होगा, जो इस अनुबंध के तहत भुगतान योग्य किसी भी राशि को ऋणदाता के दिल्ली के बाहर रखे गए एक या अधिक बैंक खाते/खातों में जमा करना होगा. हमारे अनुरोध पर आप तुरंत अपने बैंकर(रों) को इस अनुबंध के तहत पुनर्भुगतान करने का निर्देश देंगे जो किसी भी माध्यम जिसमें ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सम्मिलित है, और जो हमारे द्वारा समय-समय पर चाहे गए प्रकार और रूप में हो, से किया जा सकता है. प्रत्येक भुगतान निर्देश या उपकरण की वापस होने की स्थिति में आप हमें रु. 500/- (पाँच सौ रुपये केवल) का प्रभार देंगे. यदि आपने कोई भुगतान या पुनर्भुगतान ऋणदाता के नामित बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं किया हो, तो इस अनुबंध के तहत किये गए प्रत्येक भुगतान/पुनर्भुगतान के लिए आपको ऋणदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि से लिखित रसीद या प्राप्ति स्वीकृति मिलेगी.
 14. यदि पुनर्भुगतान का दिनांक किसी गैर-व्यावसायिक दिन पर आता है तो इसे पूर्व कार्यदिवस पर समझा जाएगा.
 15. ऋणदाता अपने स्वत्वाधिकार के अनुसार, किसी प्रकार से उचित, ऐसे भुगतान को बकाया, यदि कोई हो, ऋणगृहीता के साथ अनुबंध या उसकी ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में ऋणगृहीता द्वारा भुगतान योग्य राशि को जमा कर सकता है.
 16. आप प्रस्तुत करते और विश्वास दिलाते हैं कि (i) आपके पास इस अनुबंध को करने की और यहाँ दिए प्रावधानों के अनुपालन और प्रदर्शन की शक्ति है और अपने ऐसा करने हेतु सभी आवश्यक